(54)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 1984–पीबीआर/13 विरूद्ध आदेश दिनांक 14–2–13 पारित द्वारा नायब तहसीलदार, बैरसिया प्रकरण कमांक 06/अ–27/12–13.

शौकत सईद आत्मज सईद खॉ
निवासी म.नं. 44 नारियलखेड़ा, भोपाल .....आवेदक

विरूद्ध

1/ कौसर जहां पत्नी स्व. सौलत सईद
2– रफत सईद खॉ आत्मज स्व. सईद खॉ
निवासीगण म.न. 44,
टेकरी नारियलखेड़, भोपाल .....अनावेदकगण

श्री ओ0पी0 श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 11/2/17 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत नायब तहसीलदार, बैरसिया द्वारा पारित आदेश 14–2–13 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक कमांक 1 एवं अन्य के द्वारा तहसीलदार, बैरसिया जिला भोपाल के समक्ष संहिता की धारा 178 के अंन्तर्गत उनके स्वामित्व की भूमियों के बटवारा हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान आवेदक की ओर से व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 1 नियम 10 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर पक्षकार बनने का अनुरोध किया गया । नायब तहसीलदार द्वारा दिनांक 14–2–13 को आदेश

पारित कर आवेदन पत्र निरस्त किया गया । नायब तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमियों में आवेदक का भी हिस्सा है, क्योंकि उसके पिता स्व. सईद खॉ द्वारा उसके पक्ष में वसीयतनामा निष्पादित की गई है, और प्रश्नाधीन भूमियों पर उसका आधिपत्य है । यह भी कहा गया कि आवेदक एवं अन्य सह खातेदार आपस में सगे भाई हैं, इसलिए भी प्रश्नाधीन भूमियों पर उसका हित निहित है, इसके बावजूद भी तहसील न्यायालय द्वारा उसे पक्षकार नहीं बनाने में विधि एवं न्याय की गम्भीर भूल की गई है । उनके द्वारा नायब तहसीलदार का आदेश निरस्त कर आवेदक को पक्षकार बनाये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

5/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय द्वारा आवेदक के आवेदन पत्र पर सकारण बोलता हुआ आदेश पारित नहीं किया गया है, अतः उनका आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । इस प्रकरण में यह विधिक आवश्यकता है कि तहसील न्यायालय का आदेश दिनांक 14–2–13 निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसील न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाये कि वे आवेदक के आवेदन पत्र पर उभय पक्ष को सुनकर विधिवत सकारण बोलता हुआ आदेश पारित करें ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर नायब तहसीलदार, बैरसिया द्वारा पारित आदेश 14–2–13 निरस्त किया जाता है । प्रकरण तहसील न्यायालय को उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में निराकरण हेतु प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर